आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

CIN L65190MH2004GOI148838
[पंजीकृत कार्यालय - आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400 005, फोन-(022) 66552779, फैक्स-(022) 22182352, ईमेल - idbiequity@idbi.co.in, वेबसाइट-www.idbi.com]

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आईडीबीआई बैंक लि. के सदस्यों की 10 वीं वार्षिक महासभा सोमवार, दिनांक 30 जून 2014 को अपराह्न 3.30 बजे यशवंतराव चव्हाण सेंटर ऑडिटोरियम, जनरल जगन्नाथराव भोंसले मार्ग, मुंबई - 400 021 में आयोजित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित मदों पर कार्रवाई की जाएगी :

सामान्य कारोबार

1. यथा 31 मार्च 2014 को बैंक के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और उन पर निदेशकों तथा लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टें प्राप्त करना, उन पर विचार करना तथा उन्हें स्वीकार करना;
2. वर्ष 2013-14 के लिए अंतिम लाभांश घोषित करना (13 जनवरी 2014 को बोर्ड द्वारा घोषित ₹ 0.725 प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश के अलावा);
3. लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति करना, उनका पारिश्रमिक निश्चित करना और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे एक सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना:-

   ''संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (1) और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 तथा बैंक के संस्था बहिर्नियम व अंतर्नियम और तत्समय लागू किसी अन्य कानून या दिशानिर्देश, यदि कोई हों, के अनुसरण में बैंक के निदेशक मण्डल को भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त होने पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(8) के निबंधनों के अनुसार (i) मेसर्स खीमजी कुंवरजी एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, मुंबई (आईसीएआई पंजीकरण सं. 105146डब्ल्यू) तथा मेसर्स जी. डी. आप्टे एंड कं. सनदी लेखाकार, पुणे (आईसीएआई पंजीकरण सं. 100515डब्ल्यू) को वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए बैंक के संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में पुनः नियुक्त करने तथा (ii) मेसर्स अशोक कपूर एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार, दुबई को वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए बैंक की डीआईएफसी, दुबई शाखा के लिए शाखा सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में पुनः नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है, यह पुनर्नियुक्ति ऐसे निबंधनों एवं शर्तों तथा पारिश्रमिक पर होगी जो बैंक का निदेशक मंडल उपर्युक्त दोनों नियुक्तियों के लिए नियत करे."

विशेष कारोबार

4. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधन(नों) के साथ या उनके बिना विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

   ''संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(1)(सी) के प्रावधानों और लागू अन्य प्रावधानों, यदि कोई हों, बैंक के संस्था अंतर्नियम, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949,

IDBI BANK LIMITED

CIN L65190MH2004GOI148838
[Regd. Office - IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai- 400 005.
Phone-(022) 66552779, Fax-(022) 22182352,
e-mail idbiequity@idbi.co.in, website-www.idbi.com]

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 10th Annual General Meeting of the Members of IDBI Bank Limited will be held on Monday, June 30, 2014 at 3.30 p.m. at Yashwantrao Chavan Centre Auditorium, Gen. Jagannathrao Bhonsle Marg, Mumbai – 400 021 to transact the following business :

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Bank as at March 31, 2014 together with the Reports of Directors and Auditors thereon;
2. To declare Final Dividend for the year 2013-14 (in addition to the Interim Dividend of ₹ 0.725 per equity share declared by the Board on January 13, 2014);
3. To appoint auditors and fix their remuneration and, in that behalf, to consider and, if thought fit, to pass the following resolution as Ordinary Resolution:-

   "RESOLVED THAT pursuant to Section 139(1) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act,2013, the Banking Regulation Act, 1949, Memorandum and Articles of Association of the Bank and any other law or guideline applicable, if any, for the time being in force, the Board of Directors of the Bank be and is hereby authorized to (i) re-appoint M/s. Khimji Kunverji & Co., Chartered Accountants, Mumbai (ICAI Regn. No.105146W) and M/s. G.D Apte & Co., Chartered Accountants, Pune (ICAI Regn. No.100515W) as Joint Statutory Auditor(s) of the Bank for the Financial Year 2014-2015 and (ii) re-appoint M/s. Ashok Kapur & Associates, Chartered Accountants, Dubai as Branch Statutory Auditors for Bank's DIFC, Dubai Branch for the Financial Year 2014-15 in terms of Section 143(8) of the Companies Act, 2013 on receipt of approval in this regard from Reserve Bank of India on such terms, conditions and remuneration as the Board of Directors of the Bank may fix for both the above appointments."

SPECIAL BUSINESS

4. To consider and, if thought fit, to pass, with or without modification(s), the following resolution as Special Resolution:

   "RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 62(1)(c) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, Articles of Association of the Bank, the Banking Regulation Act, 1949, SEBI (ICDR)

सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 तथा/या किसी अन्य सम्बद्ध कानून/दिशानिर्देश के अनुसरण में और भारतीय रिज़र्व बैंक (**रिज़र्व बैंक**), भारत सरकार, भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड **(सेबी)** तथा/या इस संबंध में अपेक्षित किसी अन्य सांविधिक/ विनियामक प्राधिकरण के अनुमोदन, सहमति और मंजूरी, यदि कोई है, के अधीन और ऐसे अनुमोदन प्रदान करने के लिए उनके द्वारा निर्धारित ऐसे निबंधनों, शर्तों तथा संशोधनों के अधीन और जिनसे बैंक का निदेशक मंडल सहमत हो, बैंक के निदेशक मंडल (इसमें इसके पश्चात् **"बोर्ड"** के रूप में निर्दिष्ट जिसमें इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित अपने अधिकारों का प्रयोग करने हेतु बोर्ड द्वारा गठित की गई या इसके बाद गठित की जानेवाली कोई भी समिति शामिल होगी) के लिए भारत में प्रस्ताव दस्तावेज़/ विवरण पत्र अथवा ऐसे अन्य दस्तावेज़ के माध्यम से कुल अधिकतम ₹4000/- करोड़ राशि (प्रीमियम राशि सहित) के ₹ 10/- प्रत्येक अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों की ऐसी संख्या जिसे ₹ 16,03,93,92,600/- मौजूदा प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में इस प्रकार जोड़ा जाए कि बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में केंद्र सरकार की धारिता किसी भी समय 51% से कम न हो, जोकि बाजार मूल्य पर छूट (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अधीन) या प्रीमियम पर हो, एक या अधिक श्रृंखलाओं में एक या अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों ("एनआरआई"), कंपनियों (निजी या सार्वजनिक), निवेश संस्थाओं, सोसाइटियों, न्यासों, अनुसंधान संगठनों, पात्र संस्थागत क्रेताओं (''**क्यूआईबी**'') जैसे विदेशी संस्थागत निवेशक **(एफआईआई)**, बैंक, वित्तीय संस्थाएं, भारतीय म्यूच्युअल फंड, उद्यम पूंजी निधि, विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेंशन निधियों, विकास वित्तीय संस्थाओं या अन्य संस्थाओं, प्राधिकरणों अथवा मौजूदा विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के इक्विटी शेयरों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य श्रेणी के निवेशकों को बैंक द्वारा उचित समझे गए तरीके से प्रस्तावित करने, जारी करने तथा आबंटित करने (पक्के आबंटन तथा/या निर्गम के उस भाग के प्रतिस्पर्धी आधार पर तथा उस समय लागू कानून के द्वारा अनुमत किसी श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षण के प्रावधान सहित) के लिए बैंक के शेयरधारकों की सहमति दी जाए और एतद्द्वारा दी जाती है."

''यह भी संकल्प किया जाता है कि ऐसा निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन निम्नलिखित माध्यमों अर्थात् सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, अधिमान निर्गम, पात्र संस्थागत नियोजन और /या निजी नियोजन, अतिरिक्त आबंटन के विकल्प सहित या रहित, के आधार पर इनमें से किसी एक या अधिक माध्यमों से होगा तथा/कि ऐसा प्रस्ताव, निर्गम, नियोजन और आबंटन कंपनी अधिनियम, 2013, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, सेबी (आईसीडीआर) विनियम 2009 के प्रावधानों तथा रिज़र्व बैंक, सेबी या किसी अन्य प्राधिकरण, जो भी लागू हो, द्वारा जारी अन्य सभी दिशानिर्देशों के अधीन और ऐसे समय पर और ऐसे तरीके और ऐसे निबंधन व शर्तों पर किया जाएगा जिसे निदेशक मंडल अपने पूर्ण विवेकाधिकार से उचित समझे."

Regulations, 2009 and/or any other relevant law/ guideline(s) and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India **(RBI)**, Government of India **(GOI)**, Securities and Exchange Board of India **(SEBI)**, and/or any other statutory/ regulatory authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called **'the Board'** which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or may hereafter constitute to exercise its powers, including the powers conferred by this Resolution) to offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by law then applicable) by way of an offer document/ prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares of the face value of ₹ 10/- each and aggregating to not more than ₹ 4000 crore (inclusive of premium amount) to be added to the existing paid-up equity share capital of ₹16039392600/- in such a way that the Central Govt. shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity share capital of the Bank, whether at a discount (subject to Section 53 of the Companies Act, 2013) or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian Nationals, Non-Resident Indians **("NRIs")**, Companies, Private or Public, Investment Institutions, Societies, Trusts, Research Organisations, Qualified Institutional Buyers **("QIBs")** like Foreign Institutional Investors **("FIIs")**, Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors who are authorized to invest in equity shares of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank".

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by one or more of the following modes, i.e., by way of public issue, rights issue, preferential issue, qualified institutional placement and/or on a private placement basis, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Companies Act, 2013, the Banking Regulation Act, 1949, the SEBI (ICDR) Regulations, 2009 and all other guidelines issued by RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times, in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit".

''यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को यह प्राधिकार होगा कि वह इस तरह से मूल्य या मूल्यों को निर्धारित कर सके और जहां जरूरी हो, वहां अग्रणी प्रबंधकों तथा/ या हामीदारों और/ या अन्य सलाहकारों के परामर्श से या अन्यथा ऐसे निबधनों एवं शर्तों पर जो बोर्ड के पूर्ण विवेकानुसार हों, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, अन्य विनियमों तथा किसी और अन्य सभी लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुरूप हों, चाहे वे निवेशक वर्तमान में बैंक के सदस्य हों या न हों, ऐसा मूल्य तय कर सकेगा जो कि सेबी (आईसीडीआर) विनियम के संबंधित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्य से कम न हो.''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीबद्धता करार के प्रावधानों, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, बैंक के संस्था अंतर्नियम, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधानों और विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंजों, रिज़र्व बैंक, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डीआईपीपी) और इस संबंध में अपेक्षित अन्य सभी प्राधिकारियों (इसमें इसके पश्चात् सामूहिक रूप से ''उपयुक्त प्राधिकारी'' के रूप में उल्लिखित) के अपेक्षित अनुमोदन, सहमति, अनुमति और/या मंजूरियों के अधीन एवं इनमें से किसी के भी द्वारा किसी भी ऐसे अनुमोदन, सहमति, अनुमति और/या मंजूरी (इसमें इसके पश्चात् ''अपेक्षित अनुमोदन'' के रूप में उल्लिखित) आदि प्रदान करते समय इनमें से किसी के भी द्वारा इस प्रकार की निर्धारित शर्तों के अधीन बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत एक या अधिक श्रृंखलाओं में, समय-समय पर इक्विटी शेयर इस प्रकार जारी, प्रस्तावित या आबंटित कर सकता है कि पात्र संस्थागत नियोजन के अनुसरण में, जैसा कि सेबी (आईसीडीआर) विनियम के अध्याय VIII के तहत व्यवस्था है, नियोजन दस्तावेज़ और / या अन्य किसी दस्तावेजों / प्रलेखों / परिपत्रों /ज्ञापनों के माध्यम से और इस तरीके से और ऐसे मूल्य, शर्तों और निबंधनों पर जो बोर्ड द्वारा सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 या तत्समय लागू कानून के अन्य प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया गया हो, बशर्ते कि इस प्रकार जारी इक्विटी शेयरों के प्रीमियम सहित मूल्य सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के संगत प्रावधानों के अनुसार नियत मूल्य से कम न हों, पात्र संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) (जैसाकि आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII में परिभाषित है) की तुलना में केंद्र सरकार किसी भी समय बैंक की इक्विटी शेयर पूंजी का 51% से कम धारित न करता हो.''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अध्याय VIII के अनुसरण में पात्र संस्थागत नियोजन के मामले में प्रतिभूतियों का आबंटन आईसीडीआर विनियम के अध्याय VIII के अर्थ के भीतर केवल पात्र संस्थागत क्रेताओं को ही किया जाएगा और ऐसी प्रतिभूतियां पूर्णतः प्रदत्त होंगी तथा ऐसी प्रतिभूतियों का आबंटन इस संकल्प की तारीख से 12 माह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा.''

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices, in such manner and where necessary in consultation with the lead managers and/or underwriters and/or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of SEBI (ICDR) Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of SEBI (ICDR) Regulations".

"RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of the Listing Agreements entered into with relevant Stock Exchanges, the provisions of the Companies Act, 2013, the Banking Regulation Act, 1949, Articles of Association of the Bank, the provisions of SEBI (ICDR) Regulations, 2009, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of SEBI, Stock Exchanges, RBI, Foreign Investment Promotion Board (FIPB), Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce (DIPP) and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and/or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time, in one or more tranches, equity shares in such a way that the Central Government at any time holds not less than 51% of the Equity Share Capital of the Bank, to Qualified Institutional Buyers (QIBs)[as defined in Chapter VIII of the ICDR Regulations] pursuant to a Qualified Institutional Placement (QIP), as provided for under Chapter VIII of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009, through a placement document and / or such other documents/writings/circulars/memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations, 2009 or other provisions of law as may be prevailing at the time, provided the price inclusive of the premium of the equity shares so issued shall not be less than the price arrived at in accordance with the relevant provisions of SEBI (ICDR) Regulations, 2009".

"RESOLVED FURTHER THAT in case of a Qualified Institutional Placement pursuant to Chapter VIII of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009, the allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VIII of the ICDR Regulations and that such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution".

''यह भी संकल्प किया जाता है कि पात्र संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) निर्गम के मामले में, प्रतिभूतियों का आधार मूल्य तय करने की संगत तारीख सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अनुसार होगी तथा बैंक के निदेशक मंडल द्वारा नियत की जाएगी."

''यह भी संकल्प किया जाता है कि क्यूआईपी के मामले में, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार, बोर्ड, अपने पूर्ण विवेकानुसार कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 53 के प्रावधानों के अधीन सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के निबंधनों के अनुसार निर्धारित ''आधार मूल्य'' से अधिकतम पांच प्रतिशत की छूट पर या ऐसी छूट पर, जो लागू विनियमों के अंतर्गत अनुमत हो, इक्विटी शेयर जारी कर सकता है.''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि निर्गम, आबंटन और सूचीबद्धता को अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं मंजूरी देते/ प्रदान करते समय और निदेशक मंडल द्वारा सहमत हुए अनुसार भारत सरकार / रिज़र्व बैंक/ सेबी/ ऐसे स्टॉक एक्सचेंज जिनमें बैंक के शेयर सूचीबद्ध हों अथवा अन्य उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा प्रस्ताव में अपेक्षित या लगाए गए किसी संशोधन को स्वीकार करने की शक्ति व अधिकार बोर्ड को होगा.''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि अनिवासी भारतीयों, विदेशी संस्थागत निवेशकों और /अथवा अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को नए इक्विटी शेयरों, यदि कोई हों, का निर्गम तथा आबंटन विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अधीन प्रयोज्य किंतु अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समग्र सीमा के भीतर किया जाएगा.''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि जारी किये जाने वाले उक्त नए इक्विटी शेयर सभी दृष्टियों से बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समरूप होंगे तथा लाभांश की घोषणा के समय प्रचलित सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार घोषित लाभांश, यदि कोई हो, के लिए पात्र होंगे.''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि इक्विटी शेयरों के किसी निर्गम या आबंटन को प्रभावी बनाने के प्रयोजनार्थ बोर्ड को सदस्यों से आगे कोई अनुमोदन प्राप्त किये बिना सार्वजनिक निर्गम की शर्तों तथा निवेशकों की ऐसी श्रेणी, जिन्हें प्रतिभूतियां आबंटित की जानी हैं, प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किए जानेवाले शेयरों / प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत उचित समझे, का निर्धारण करने तथा ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करने और ऐसे विलेख, दस्तावेज़ तथा करार निष्पादित करने के लिए, जिसे वे अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत आवश्यक, उचित या अभीष्ट समझें तथा सार्वजनिक ऑफर, निर्गम, आबंटन और निर्गम से प्राप्त आय के उपयोग के संबंध में उठने वाले किसी प्रकार के प्रश्न, कठिनाई या संदेह का समाधान करने अथवा उनके समाधान के लिए निर्देश या अनुदेश देने और निबंधनों एवं शर्तों में ऐसे आशोधन, बदलाव, भिन्नता, परिवर्तन, विलोपन, संवर्धन को स्वीकार और लागू करने, जो बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अधीन बैंक के सर्वोत्तम हित में उपयुक्त और उचित समझे, के लिए प्राधिकृत किया

"RESOLVED FURTHER THAT in case of QIP issue, the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the SEBI (ICDR)Regulations, 2009 and shall be decided by the Board of Directors of the Bank".

"RESOLVED FURTHER THAT in case of QIP, in terms of the provisions of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009, the Board may, at its absolute discretion, issue equity shares at a discount of not more than five percent or such other discount as may be permitted under applicable regulations to the 'floor price' as determined in terms of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009, subject to the Provisions of Section 53 of the Companies Act, 2013."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by GOI / RBI / SEBI/ Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board".

"RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares, if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investors be subject to the approval of RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act".

"RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to and shall rank *pari-passu* in all respects with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration".

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares, the Board, be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board, in its absolute discretion, deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in their absolute discretion, deem necessary, proper or desirable and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise with regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members

जाये और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है और कि इस संकल्प द्वारा बैंक और बोर्ड को प्रदत्त किसी या सभी शक्तियों का प्रयोग बोर्ड द्वारा किया जा सकता है. "

''यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को अग्रणी प्रबंधक(कों), बैंकर(रों), हामीदार(रों), निक्षेपागार(रों) तथा/या ऐसी सभी एजेंसियों के साथ, जो इस प्रकार के इक्विटी के निर्गम में शामिल या उससे संबंधित हों, के साथ ऐसी सभी व्यवस्थाओं के लिए करार करने और उसे निष्पादित करने और ऐसी सभी संस्थाओं एवं एजेंसियों को कमीशन, दलाली, फीस या किसी अन्य रूप में पारिश्रमिक देने तथा ऐसी एजेंसियों के साथ सभी संबंधित व्यवस्थाएं, करार ज्ञापन, दस्तावेज़ आदि निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है.''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त को लागू करने के लिए बोर्ड को बैंक द्वारा नियुक्त अग्रणी प्रबंधकों, हामीदारों, सलाहकारों और/अथवा बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों के परामर्श से निर्गम के स्वरूप और शर्तों, साथ ही निवेशकों की श्रेणी जिन्हें शेयर आबंटित किए जाने हैं, प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किए जाने वाले शेयरों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो), अंकित मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि, इक्विटी शेयरों की संख्या, मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम या छूट (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अधीन), रिकॉर्ड तारीख या लेखा बंदी की तारीख नियत करना तथा संबंधित या प्रासंगिक मामले, भारत में और / अथवा विदेश में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने, जैसा कि बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत उचित समझे, के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है.''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि अभिदान न किए गए ऐसे शेयरों का बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अधीन ऐसे तरीके से निपटान किया जाए, जिसे बोर्ड उपयुक्त समझे और जो विधि द्वारा अनुमत हो.''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को लागू करने के प्रयोजनार्थ बोर्ड को शेयरधारकों या प्राधिकरणों से कोई अतिरिक्त सहमति अथवा अनुमोदन प्राप्त किये बिना ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करने, जिन्हें वे अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत आवश्यक, उचित व अभीष्ट समझें और शेयरों के निर्गम के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या संदेह का समाधान करने और आगे ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करने और सभी दस्तावेज़ तथा लिखतों को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने, जिसे वे अपने पूर्ण विवेकानुसार आवश्यक, अभीष्ट और अत्यावश्यक समझें, के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है अथवा इस आशय से उनको प्राधिकृत किया जाता है कि इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा शेयरधारकों ने अपना स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त अनुमोदन दे दिया है, ऐसा माना जाएगा.''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त संकल्पों को प्रभावी बनाने के लिए निदेशक मंडल को अपने सभी या किसी भी अधिकार को बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा उप प्रबंध निदेशक अथवा कार्यपालक निदेशक (कों) या किसी अन्य वरिष्ठ कार्यपालक को प्रत्यायोजित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है.''

and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board" .

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity shares and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies".

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares are to be allotted, number of shares to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue, number of equity shares, the price, premium or discount (subject to Section 53 of the Companies Act, 2013) on issue, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and / or abroad, as the Board, in its absolute discretion, deems fit".

"RESOLVED FURTHER THAT such of these shares as are not subscribed to may be disposed off by the Board, in its absolute discretion, in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law".

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may, in its absolute discretion, deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise with regard to the issue of the shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may, in its absolute discretion, deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorities to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers, herein conferred, to the Chairman and Managing Director or to the Deputy Managing Director or Executive Director(s) or any other Senior Executive of the Bank, to give effect to the aforesaid Resolutions."

5. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधन(नों) के साथ/उनके बिना विशेष संकल्प के रूप में पारित करनाः

''संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1) (सी) के अंतर्गत निदेशक मण्डल को समय-समय पर कोई धनराशि या धनराशियाँ उधार लेने के लिए, इस बात के होते हुए भी कि आईडीबीआई बैंक द्वारा पहले ही उधार ली गई धनराशियों के साथ इस प्रकार उधार ली गई धनराशि या धनराशियाँ (कारोबार के सामान्य अनुक्रम में आईडीबीआई बैंक के बैंकरों से प्राप्त किए गए अस्थायी ऋणों के अलावा) आईडीबीआई बैंक की प्रदत्त शेयर पूंजी तथा उसकी निर्बंध आरक्षित निधियों, अर्थात किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए अलग न रखी गई आरक्षित निधियों, के कुल योग से अधिक हों, कंपनी की सहमति दी जाए और एतद्द्वारा दी जाती है, बशर्ते यह भी कि इस प्रकार उधार ली गई कुल राशि ₹1,25,000 करोड़ (एक लाख पच्चीस हजार करोड़ रुपये मात्र) से अधिक नहीं होगी.''

6. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधन(नों) के साथ/उनके बिना विशेष संकल्प के रूप में पारित करनाः

''संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के प्रावधानों के अनुसरण में और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के प्रावधानों का अनुपालन करने के उद्देश्य से, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के संस्था के अंतर्नियम को संस्था अंतर्नियम के अंतर्नियम 116(1)(ई) के बाद और अंतर्नियम 117 के पहले निम्नलिखित नया अंतर्नियम 116ए जोड़कर परिवर्तित किया जाए और एतद्द्वारा परिवर्तित किया जाता हैः

''अंतर्नियम 116ए

(i) इन संस्था अंतर्नियमों में निहित किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, अंतर्नियम 116(1)(ई) के अंतर्गत निर्धारित 5 निदेशकों में से अंतर्नियम 114(ए) के अंतर्गत निर्धारित 12 निदेशकों की कुल संख्या के एक-तिहाई तक अर्थात् 4 निदेशकों को 4 लगातार वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) के अंतर्गत बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जो क्रमावर्तन से सेवानिवृत्ति के लिए दायी नहीं होंगे, लेकिन विशेष संकल्प पारित किए जाने पर अधिकतम 4 वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे जो अधिकतम 8 वर्ष के कार्यकाल तथा बोर्ड की रिपोर्ट में ऐसी नियुक्ति के प्रकटन के अधीन होगा. बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और सूचीबद्धता करार के खंड 49 के सम्बद्ध प्रावधानों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 में निहित स्वतंत्र निदेशकों से संबंधित अन्य सभी सम्बद्ध प्रावधानों का पालन करेगा.

(ii) इन संस्था अंतर्नियमों में निहित किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, अंतर्नियम 116(1)(ई) के अंतर्गत निर्धारित 5 निदेशकों

5. To consider and, if thought fit, to pass, with or without modification(s), the following resolution as Special Resolution:

"RESOLVED THAT the consent of the Company be and is hereby accorded to the Board of Directors under Section 180(1)(c) of the Companies Act, 2013 to borrow any sum or sums of money from time to time, notwithstanding that the money or moneys so borrowed together with the moneys already borrowed by IDBI Bank (apart from the temporary loans obtained from IDBI Bank's bankers in the ordinary course of business) may exceed the aggregate of the paid-up share capital of IDBI Bank and its free reserves, that is to say, reserves not set apart for any specific purpose, provided however that the total amount so borrowed shall not exceed ₹ 1,25,000 crore (Rupees One Lakh Twenty Five Thousand Crore only).

6. To consider and, if thought fit, to pass, with or without modification(s), the following resolution as Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 14 of the Companies Act, 2013 and in order to comply with the provisions of Section 149 of the Companies Act, 2013 read with the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Articles of Association of IDBI Bank Ltd. be and are hereby altered by addition of the following new Article 116A after the Article 116(1)(e) and before the Article 117 of the Articles of Association:

"Article 116A

(i) Notwithstanding anything to the contrary contained in these Articles of Association, out of the 5 Directors prescribed under Article 116(1)(e), upto 4 Directors being 1/3rd of the total strength of 12 Directors prescribed under Article 114(a) shall be appointed as Independent Directors on the Board under section 149(4) of the Companies Act, 2013, not liable to retire by rotation, for an initial term of 4 consecutive years but shall be eligible for re-appointment on passing of a Special Resolution for not more than one more term of 4 years subject to the maximum term of 8 years and disclosure of such appointment in the Board's report. The Bank shall comply with all other relevant provisions pertaining to Independent Directors contained in the Companies Act, 2013 read with the relevant provisions of the Banking Regulations Act, 1949, and clause 49 of the Listing Agreement.

(ii) Notwithstanding anything to the contrary contained in these Articles of Association, out of the

में से, एक महिला निदेशक को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1)(बी) के निबंधनों के अनुसार बोर्ड में नियुक्त किया जाएगा.

(iii) इन संस्था अंतर्नियमों में निहित किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, आईडीबीआई बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड का कम से कम एक निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (3) की निबंधनों के अनुसार पिछले कैलेंडर वर्ष में कम से कम एक सौ बयासी दिन की कुल अवधि के लिए भारत में रहे.''

7. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधन(नों) के साथ/उनके बिना सामान्य संकल्प के रूप में पारित करनाः

''संकल्प किया जाता है कि श्री एस रवि (डीआईएन 00009790), जिन्हें आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के बोर्ड में 02 जुलाई 2012 से निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जो स्वतंत्र निदेशक के रूप में बने हुए हैं और जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (सी) के अंतर्गत यथा उपबंधित स्वतंत्र निदेशक के मानदंड को पूरा करते हैं, को 02 जुलाई 2012, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में श्री एस रवि की पहली नियुक्ति की तारीख, से प्रारम्भ में लगातार चार वर्ष के कार्यकाल के लिए पदभार ग्रहण करने के लिए बैंक के निदेशक मण्डल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में औपचारिक रूप से नियुक्त किया जाए तथा एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10 ए (2ए) तथा सूचीबद्धता करार के खंड 49 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (4), (10) एवं (11) तथा 152 (6)(ई) के निबंधनों के अनुसार क्रमावर्तन से सेवानिवृत्ति के लिए दायी नहीं होंगे.''

8. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधन(नों) के साथ/उनके बिना सामान्य संकल्प के रूप में पारित करनाः

''संकल्प किया जाता है कि श्री निनाद कर्पे, (डीआईएन 00030971) जिन्हें आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के बोर्ड में 02 जुलाई 2012 से निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जो स्वतंत्र निदेशक के रूप में बने हुए हैं और जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (सी) के अंतर्गत यथा उपबंधित स्वतंत्र निदेशक के मानदंड को पूरा करते हैं, को 02 जुलाई 2012, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में श्री निनाद कर्पे की पहली नियुक्ति की तारीख, से प्रारम्भ में लगातार चार वर्ष के कार्यकाल के लिए पदभार ग्रहण करने के लिए बैंक के निदेशक मण्डल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में औपचारिक रूप से नियुक्त किया जाए तथा एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10 ए (2ए) तथा सूचीबद्धता करार के खंड 49 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (4), (10) एवं (11) तथा 152 (6)(ई) के निबंधनों के अनुसार क्रमावर्तन से सेवानिवृत्ति के लिए दायी नहीं होंगे.''

9. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधन(नों) के साथ/उनके बिना सामान्य संकल्प के रूप में पारित करनाः

5 Directors prescribed under Article 116(1)(e), one Woman Director shall be appointed on the Board in terms of Section 149(1)(b) of the Companies Act, 2013.

(iii) Notwithstanding anything to the contrary contained in these Articles of Association, IDBI Bank shall ensure that atleast one Director on the Board has stayed in India for a total period of not less than one hundred and eighty two days in the previous calendar year, in terms of Section 149(3) of the Companies Act, 2013."

7. To consider and, if thought fit, to pass, with or without modification(s), the following resolution as Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT Shri S. Ravi (DIN 00009790) who was appointed as Director on the Board of IDBI Bank Ltd. w.e.f. July 2, 2012 and is continuing as Independent Director and who meets the criteria of Independence as provided under Section 149(6) of the Companies Act, 2013, be and is hereby formally appointed as Independent Director on the Board of the Bank not liable to retire by rotation in terms of Sections 149(4), (10) & (11) and 152(6)(e) of the Companies Act, 2013 read with Section 10A(2A) of the Banking Regulation Act, 1949 and Clause 49 of the Listing Agreement to hold office initially for a term of 4 consecutive years w.e.f. July 2, 2012, the date of first appointment of Shri S. Ravi in IDBI Bank Ltd."

8. To consider and, if thought fit, to pass, with or without modification(s), the following resolution as Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT Shri Ninad Karpe (DIN 00030971) who was appointed as Director on the Board of IDBI Bank Ltd. w.e.f. July 2, 2012 and is continuing as Independent Director and who meets the criteria of Independence as provided under Section 149(6) of the Companies Act, 2013, be and is hereby formally appointed as Independent Director on the Board of the Bank not liable to retire by rotation in terms of Sections 149(4), (10) & (11) and 152(6)(e) of the Companies Act, 2013 read with Section 10A(2A) of the Banking Regulation Act, 1949 and Clause 49 of the Listing Agreement to hold office initially for a term of 4 consecutive years w.e.f. July 2, 2012, the date of first appointment of Shri Ninad Karpe in IDBI Bank Ltd."

9. To consider and, if thought fit, to pass, with or without modification(s), the following resolution as Ordinary Resolution:

''संकल्प किया जाता है कि श्री पी एस शेनॉय (डीआईएन 00108547), जिन्हें आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के बोर्ड में 30 जुलाई 2011 से निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जो स्वतंत्र निदेशक के रूप में बने हुए हैं और जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (सी) के अंतर्गत यथा उपबंधित स्वतंत्र निदेशक के मानदंड को पूरा करते हैं, को 30 जुलाई 2011, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में श्री पी एस शेनॉय की पहली नियुक्ति की तारीख, से प्रारम्भ में लगातार चार वर्ष के कार्यकाल के लिए पदभार ग्रहण करने के लिए बैंक के निदेशक मण्डल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में औपचारिक रूप से नियुक्त किया जाए तथा एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो बैंक्कारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10 ए (2ए) तथा सूचीबद्धता करार के खंड 49 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (4), (10) एवं (11) तथा 152 (6)(ई) के निबंधनों के अनुसार क्रमावर्तन से सेवानिवृत्ति के लिए दायी नहीं होंगे.''

10. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधन(नों) के साथ/उनके बिना सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना:

''संकल्प किया है कि बैंक के संस्था अंतर्नियम के अंतर्नियम 116(1)(बी) के निबंधनों के अनुसार भारत सरकार की दिनांक 30 अगस्त 2013 की अधिसूचना सं. एफ सं. 7/3/2011-बीओ.आई के जरिये श्री एम.ओ. रेगो (डीआईएन 00292670) की 30 अगस्त 2013 (श्री एम.ओ. रेगो द्वारा पदभार ग्रहण करने की तारीख) से 5 वर्ष की अवधि या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए उप प्रबंध निदेशक के रूप में भारत सरकार द्वारा की गई नियुक्ति को नोट और अनुमोदित किया जाए तथा एतद्द्वारा नोट और अनुमोदित किया जाता है''.

11. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधन(नों) के साथ/उनके बिना सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना:

''संकल्प किया जाता है कि बैंक के संस्था अंतर्नियम के अंतर्नियम 116(1)(बी) के निबंधनों के अनुसार भारत सरकार की दिनांक 30 सितंबर 2013 की अधिसूचना सं. एफ सं. 6/24/2013-बीओ.आई के जरिये श्री पंकज वत्स (डीआईएन 06712380) के 30 सितंबर 2013 से 3 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में भारत सरकार द्वारा किए गए नामांकन को नोट और अनुमोदित किया जाए तथा एतद्द्वारा नोट और अनुमोदित किया जाता है.''

बोर्ड के आदेश से

एम. एस. राघवन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन 05236790)

पंजीकृत कार्यालय :
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड,
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड,
मुंबई - 400 005.
दिनांक : 02 मई 2014

"RESOLVED THAT Shri P.S. Shenoy (DIN 00108547) who was appointed as Director on the Board of IDBI Bank Ltd. w.e.f. July 30, 2011 and is continuing as Independent Director and who meets the criteria of Independence as provided under Section 149(6) of the Companies Act, 2013, be and is hereby formally appointed as Independent Director on the Board of the Bank not liable to retire by rotation in terms of Sections 149(4), (10) & (11) and 152(6)(e) of the Companies Act, 2013 read with Section 10A(2A) of the Banking Regulation Act, 1949 and Clause 49 of the Listing Agreement to hold office initially for a term of 4 consecutive years w.e.f. July 30, 2011, the date of first appointment of Shri P.S. Shenoy in IDBI Bank Ltd."

10. To consider and, if thought fit, to pass, with or without modification(s), the following resolution as Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT the appointment of Shri M.O. Rego (DIN 00292670) as Deputy Managing Director on the Board of Directors of IDBI Bank Ltd. w.e.f. August 30, 2013 (the date of assumption of charge of the post by Shri M.O Rego) for a period of five years or until further orders, whichever is earlier, made by Govt. of India vide Notification F.No.7/3/2011-BO.I dated August 30, 2013, in terms of Article 116(1)(b) of the Articles of Association of the Bank, be and is hereby noted and approved."

11. To consider and, if thought fit, to pass, with or without modification(s), the following resolution as Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT the nomination of Shri Pankaj Vats (DIN 06712380) as Part-time Non Official Independent Director on the Board of Directors of IDBI Bank Ltd.w.e.f. September 30, 2013 for a period of three years or until further orders, whichever is earlier, made by Govt. of India vide Notification F.No.6/24/2013-BO.I dated September 30, 2013,in terms of Article 116(1)(d) of the Articles of Association of the Bank, be and is hereby noted and approved."

By Order of the Board

M.S. Raghavan
Chairman & Managing Director
(DIN 05236790)

Registered Office:
IDBI Bank Limited
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade,
Mumbai - 400 005.
Dated : May 02, 2014

टिप्पणियां

1. मदों के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अंतर्गत विशेष कारोबार की मदों के लिए विवरण सहित) इसके साथ संलग्न हैं.

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105 के निबंधनों के अनुसार, महासभा में भाग लेने और उसमें मत देने का हकदार सदस्य अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को (चाहे वह सदस्य हो अथवा नहीं) सभा में भाग लेने एवं मत देने के लिए अपना प्रॉक्सी नियुक्त कर सकता / सकती है, लेकिन इस प्रकार से नियुक्त किए गए प्रॉक्सी को सभा में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा. प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त व्यक्ति को केवल मतदान की स्थिति में मत देने का अधिकार होगा. इसके अलावा, कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(2) के साथ पठित धारा 105 के प्रावधानों के अनुसार, मताधिकार रखने वाली बैंक की कुल शेयर पूंजी में अधिकतम 10 प्रतिशत धारिता रखने वाले पचास से अनधिक सदस्यों की ओर से प्रॉक्सी के रूप में कार्य कर सकता है, बशर्ते कि मताधिकार रखने वाली बैंक की कुल शेयर पूंजी का 10 प्रतिशत से अधिक धारिता रखने वाला सदस्य किसी एक व्यक्ति को प्रॉक्सी नियुक्त कर सकता है और ऐसा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या शेयरधारक के लिए प्रॉक्सी के रूप में कार्य नहीं करेगा. प्रॉक्सी फॉर्म इस सूचना के साथ संलग्न है. प्रॉक्सी लिखत तब वैध माना जाएगा जबः

   (क) यह सदस्य द्वारा या लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो अथवा संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में जिस सदस्य का नाम पहले हो, उसके द्वारा या लिखित रूप से विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो अथवा कंपनी निकाय के मामले में यह उसकी सामान्य मुहर, यदि कोई हो, के तहत निष्पादित हो या लिखित रूप से विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो; बशर्ते प्रॉक्सी लिखत किसी भी सदस्य द्वारा पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित हो, जो किसी कारणवश यदि अपना नाम लिखने में असमर्थ हो तो सदस्य के अंगूठे का निशान वहां लगाया गया हो और वह किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंसेज या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के किसी अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित किया गया हो.

   (ख) यह बैंक के पंजीकृत कार्यालय में सभा के लिए निर्धारित समय से कम से कम 48 घंटे पहले विधिवत् रूप से स्टाम्प लगाकर जमा किया जाए और उसके साथ पॉवर ऑफ अटर्नी या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके अंतर्गत यह हस्ताक्षरित है अथवा उस पॉवर ऑफ अटर्नी के नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित प्रति जमा की जाए, बशर्ते ऐसा पॉवर ऑफ अटर्नी या अन्य प्राधिकार बैंक में पहले जमा और पंजीकृत न किया गया हो.

3. सदस्यों / प्रॉक्सियों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे सभा में वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखों की अपनी प्रतियां तथा विधिवत् भरा हुआ पहचान फॉर्म साथ लाएं.

NOTES:

1. Explanatory Statements in respect of items (including the ones for items of Special Business under Section 102 of the Companies Act, 2013) are annexed herewith.

2. In terms of Section 105 of the Companies Act, 2013, a member entitled to attend and vote at a general meeting is entitled to appoint another person (whether a member or not) as his/her proxy to attend and vote instead of himself/herself but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting. A person appointed as proxy shall be entitled to vote only upon a poll. Further, as per the provisions of Section 105 read with Rule 19(2) of the Companies (Management and Administration Rules, 2014, a person can act as proxy on behalf of members not exceeding fifty and holding in the aggregate not more than ten percent of the total share capital of the Bank carrying voting rights provided that a member holding more than ten percent, of the total share capital of the Bank carrying voting rights may appoint a single person as proxy and such person shall not act as proxy for any other person or shareholder. A form of proxy is enclosed to this notice. No instrument of proxy shall be valid unless:

   (a) it is signed by the member or by his/her attorney duly authorised in writing or, in the case of joint holders, it is signed by the member first named in the register of members or his/her attorney duly authorised in writing or, in the case of body corporate, it is executed under its common seal, if any, or signed by its attorney duly authorised in writing; provided that an instrument of proxy shall be sufficiently signed by any member, who for any reason is unable to write his/her name, if his/her thumb impression is affixed thereto, and attested by a judge, magistrate, registrar or sub-registrar of assurances or other government gazetted officers or any officer of a Nationalised Bank or IDBI Bank Limited.

   (b) it is duly stamped and deposited at the Registered Office of the Bank not less than 48 hours before the time fixed for the meeting, together with the power of attorney or other authority (if any), under which it is signed or a copy of that power of attorney certified by a notary public or a magistrate unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank.

3. Members/Proxies/Authorised Representatives are requested to kindly bring the identification forms duly filled in along with their copies of Annual Report and Accounts, to the meeting.

4. अंतर्नियम 87 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 में यथा उपबंधित रूप में वार्षिक महासभा के लिए कोरम कारोबार के आरंभ होने पर सभा में कम से कम तीस सदस्यों (केंद्र सरकार के विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि सहित) के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने पर पूरा होगा.

5. बैंक के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण बहियां 28 जून 2014 से 30 जून 2014 तक (दोनों दिन सहित) बंद रखी जाएंगी.

6. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे शेयर से संबंधित किसी भी मामले के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट अर्थात् कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि., प्लॉट सं. 17-24, विठ्ठल राव नगर, माधापुर, हैदराबाद-500081 [टेलीफोन नं. (040) 44655000, फैक्स नं. (040) 23420814, ईमेलः einward.ris@karvy.com] अथवा आईडीबीआई बैंक लि. के पंजीकृत कार्यालय में बोर्ड विभाग के इक्विटी कक्ष, 20वीं मंजिल, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400 005 [टेलीफोन नं. (022) 66552779, 66553062, 66553336 फैक्स नं. (022) 22182352 ईमेलः idbiequity@idbi.co.in] से संपर्क करें.

7. सदस्यों का रजिस्टर बैंक के पंजीकृत कार्यालय में सभी कार्य दिवसों को कार्य समय के दौरान पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा.

8. सदस्यगण कृपया नोट करें कि सभा में कोई उपहार वितरित करने का प्रस्ताव नहीं है.

9. कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियम, 2014 (नियम) के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के प्रावधानों के निबंधनों के अनुसार वार्षिक महासभा की सूचना में दी गई कारोबार की मदों पर इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी और बैंक नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान किए गए ई - वोटिंग प्लेटफॉर्म के जरिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा 10 वीं वार्षिक महासभा में मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए ऐसे सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रहा है, जो इस प्रयोजन के लिए नियत रिकॉर्ड तारीख 16 मई 2014 (दिन की समाप्ति) को सदस्य हैं. ई-वोटिंग की प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः

[क] बैंक के ऐसे सदस्यों के लिए ई-वोटिंग के संबंध में अनुदेश जिनका डीमैट खाता/ फोलियो संख्या एनएसडीएल की ई-वोटिंग सेवा के लिए पंजीकृत नहीं है और जिनके पास यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं हैं.

i. ई-मेल खोले तथा अपनी क्लाईंट आईडी और फोलियो संख्या को पासवर्ड के रूप में प्रयोग करते हुए पीडीएफ फाइल अर्थात् 'IDBI Bank Limited e-Voting.pdf' को खोलें. उपर्युक्त पीडीएफ फाइल में ई - वोटिंग के लिए आपका यूजर आईडी और पासवर्ड दिया गया है. कृपया नोट करें यह पासवर्ड प्रारंभिक पासवर्ड है.

4. The quorum for the Annual General Meeting, as provided in Section 103 of the Companies Act, 2013 read with Article 87, is thirty members (including a duly authorized representative of the Central Government) personally present in the meeting at the commencement of business.

5. The Register of Members and the Share Transfer Books of the Bank will remain closed from June 28, 2014 to June 30, 2014 (both days inclusive).

6. Shareholders are requested to contact the Registrar & Transfer Agents of the Bank, viz., Karvy Computershare Pvt. Ltd. at their address at Plot No.17-24, Vithal Rao Nagar, Madhapur, Hyderabad – 500 081 [Tel.No.(040)44655000, Fax No.(040) 23420814, E-mail:einward.ris@karvy.com] or the Equity Cell of Board Department of IDBI Bank Ltd. at its Registered Office at 20th floor, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai – 400 005 [Tel.No.(022) 66552779, 66553062, 66553336, Fax No.(022) 22182352, E-mail:idbiequity@idbi.co.in] with regard to any share related matter.

7. Register of members shall be available for inspection at the Registered Office of the Bank during office hours on all working days between 11.00 a.m. and 1.00 p.m.

8. Members may please note that no gifts are proposed to be distributed at the meeting.

9. In terms of the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the Rules), the Items of Business given in AGM Notice may be transacted through electronic voting system and the Bank is providing e-voting facility to the members who are the members as on May 16, 2014 (End of Day) being the "Record Date" fixed for the purpose, to exercise their right to vote at the 10th AGM by electronic means through the e-voting platform provided by National Securities Depository Ltd. (NSDL). The process of e-voting shall be as follows:

[A] Instructions in respect of e-voting to Members of the Bank whose demat account / folio number has not been registered for e-voting services of NSDL and do not have their existing user id and password.

i. Open e-mail and open PDF file viz; 'IDBI Bank Limited e-Voting. pdf ' with your Client ID or Folio No. as password. The said PDF file contains your user ID and password for e-voting. Please note that the password is an initial password.